रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032021-225579
CG-DL-E-01032021-225579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2021/फाल्गुन 10, 1942
No. 900] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2021/PHALGUNA 10, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2021

का.आ. 973(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व), मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, तो इसे करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरोडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला– मुजफ्फरनगर

क्र0 सं0	परगना	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुजफ्फरनगर	सदर	कछौली	146	0.0085
2			जटनंगला	21	0.4297
3			कल्लरपुर	176	0.0588
				177	0.0255
				830	0.0110
				877	0.1161
				1192	0.0098
				1109	0.0394
				333	0.1083
				335	0.0429
				332	0.0995
				331	0.0483
				97	0.0080
				120	0.0111
				152	0.0069
				839	0.0111
				823	0.0156
				876	0.0227
				879	0.0301
4			सलेमपुर	51	0.0700
5			सीमली	274	0.0320
6		खतौली	खानूपुर	40	0.0474
				39	0.0186
7			जहांगीरपुर	107	0.0300
				109	0.0275

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2127]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2021

S.O. 973(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Muzaffarnagar in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Additional District Magistrate (Finance and Revenue), Muzaffarnagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Muzaffarnagar in the State of Uttar Pradesh.

Name of District- Muzaffarnagar

Sr. No.	Pargana	Tehsil	Name of the Village	Plot No.	Area Propose for land Acquisition (in hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muzaffarnagar	Sadar	Kacholli	146	0.0085
2			Jatnangla	21	0.4297
3			Kallarpur	176	0.0588
				177	0.0255
				830	0.0110
				877	0.1161
				1192	0.0098
				1109	0.0394
				333	0.1083
				335	0.0429
				332	0.0995
				331	0.0483
				97	0.0080
				120	0.0111
				152	0.0069
				839	0.0111
				823	0.0156
				876	0.0227
				879	0.0301
4			Salempur	51	0.0700
5			Seemli	274	0.0320
6		Khatauli	Khanupur	40	0.0474
				39	0.0186
7			Jahangirpur	107	0.0300
				109	0.0275

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2127]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.01 22:53:50 +05'30'